संख्या-17/2021/1/73381/38-4-2021

प्रेषक,

दिनेश चन्द्र पाण्डेय,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 **लखनऊ : दिनांक 24 जून, 2021**

विषयः- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 की अनुदान संख्या-83 में केन्द्रांश के समतुल्य मैचिंग राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-452/सम्प्रेक्षा/प्र0मं0आ0यो0-ग्रा0(83)/2021-22, दिनांक 07.06.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-J-12036/01/2020-RH(A/C)-Uttar Pradesh, दिनांक 20 अप्रैल, 2021 के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत अनुसूचित जाति मद में केन्द्रांश की द्वितीय किश्त की अवशेष धनराशि रूपये 54845.156 लाख एवं उसके सापेक्ष समतुल्य मैचिंग राज्यांश की धनराशि रूपये 36563.437 लाख कुल धनराशि रूपये 91408.593 लाख की वित्तीय स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक से अनुदान संख्या-83 में अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

2- अतः आपके उपर्युक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान कोविड-19 के दृष्टिगत उत्पन्न विशेष परिस्थितियों में कैश मैनेजमेंट के दृष्टिगत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तनर्गत भारत सरकार के उपर्युक्त संदर्भित पत्र दिनांक 20 अप्रैल, 2021 द्वारा प्रदेश को अनुसूचित जाति मद में अवमुक्त केन्द्रांश की द्वितीय किश्त की अवशेष धनराशि **रूपये 54845.156 लाख (रूपये पांच अरब अड़तालीस करोड़ पैंतालीस लाख पन्द्रह हजार छः सौ मात्र)** वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-83 से आपके निर्वतन पर रखने की स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं-

(1) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(2) इस संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए स्वीकृत की गयी धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने व उसके परीक्षण/सत्यापन का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

(3) आकड़ों की शुद्धता का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ का होगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्य योजना एवं मदों में, योजना हेतु निर्धारित गाईडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ही किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा संबंधित जनपदों की मांग/आवश्यकता का परीक्षण करते हुए धनराशि आवंटित की जायेगी।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग अनुमन्य धनराशि की सीमा तक ही किया जायेगा। पूर्व में कराये गये निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से पूर्ण रुप से संतुष्ट होने पर ही वास्तविक आवश्यकता के अनुसार अग्रतर किश्त/धनराशि का आहरण किया जायेगा।

(7) योजनान्तर्गत प्रश्नगत धनराशि के उपयोग में द्विरावृत्ति न हो तथा आंकड़ो की शुद्धता का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

(8) लाभार्थियों को अनुदान जारी करते समय आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य हेतु लाभार्थी को किसी अन्य योजना से अनुदान प्रदान न किया गया हो।

(9) प्रश्नगत धनराशि के नियम संगत आहरण/व्यय तथा निर्धारित प्रारुप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य, विकास, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 व अन्य संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था का संज्ञान लेते हुए उसके अनुसार कार्यवाही/अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ के स्तर पर यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का सम्मिलित रूप से टारगेट देखा जाता है तथा अनुदान संख्या-83 से अनुसूचित जनजाति को वित्तीय स्वीकृति जारी करने के उपरान्त बाद में कोई समस्या उत्पान्न नहीं होगी।

(12) इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति होए के द्वारा किया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक "4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय-03-ग्रामीण आवास-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ-0102-प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (के.60/रा.40.के.+रा.)-24-वृहत् निर्माण कार्य" नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 के कम्प्यूटर संख्या-1342830, दिनांक-23 जून, 2021 में प्राप्त सहमति के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
दिनेश चन्द्र पाण्डेय,
उप सचिव।

संख्या-17/2021/1/73381, तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, ग्राम्य विकास विभाग एवं समग्र ग्राम विकास, उ0प्र0 शासन।
(2) निजी सचिव, मा0 राज्यी मंत्री जी, ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
(3) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद (प्रयागराज)।
(4) महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद (प्रयागराज)।
(5) निदेशक(आरएच), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली ।
(6) अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
(7) निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, लखनऊ।
(8) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(9) समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(10) बजट प्रकोष्ठ अनुभाग, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
(11) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/वित्त संसाधन (के0स0) अनुभाग।
(12) राज्य योजना आयोग अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4
(13) श्री विजय बहादुर वर्मा, संयुक्त सचिव/नोडल अधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
(14) गार्ड बुक।

आज्ञा से
दिनेश चन्द्र पाण्डेय,
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।